—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 8/2025

उनवान

भंवरलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद, अजमेर
—— प्रार्थी :— जरियें अधिक्ता श्री नवीन गुर्जर

बनाम

1 .उगमा पुत्र पांचू जाति कुम्हार
2. छोटू पुत्र पाँचू जाति कुम्हार निवासी देराठू, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थीगण :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
3. जरियें जरियें राज. पैरोकार

4. जमनादेवी पत्नि गंगाराम,
5. शिवराज पुत्र गंगाराम,
6. मथुरा पुत्री गंगाराम,
7. गटख्या पुत्री गंगाराम,
8. मिश्री लाल पुत्र प्रताप,
9. श्री किशन पुत्र प्रताप,
10. हंसराज पुत्र श्रीराम,
11. रसाली पत्नि श्रीराम,
12. सुवालाल पुत्र प्रताप,
13. शान्ति पुत्री श्रीराम,
14. शोकीन पुत्र प्रताप निवासी देराठू नसीराबाद
—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :— 11.9.25

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 143 व 331 की आराजी प्रार्थी प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1052 रास्ते से खसरा नम्बर 138 में से होकर अपने खातेदारी खेतों तक जाता है। खसरा नम्बर 138 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अतः प्रार्थी उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:04 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 138 में से रास्ता चाहा है। प्रार्थी की खातेदारी खेत व अप्रार्थी की आराजी के बीच में हाल खसरा नम्बर 146 गै.मु. मोरी स्थित है। प्रार्थी ने मोरी से रास्ता लेने के लिये तथ्य छिपाकर आवेदन पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने हाल खसरा नम्बर 138 के चारो ओर चार दीवारी बना रखी है। प्रार्थी अपनी भूमि के उतरी दिशा में बने रास्ते से अवागमन करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 143 व 331 की आराजी प्रार्थी प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1052 रास्ते से खसरा नम्बर 138 में से होकर अपने खातेदारी खेतों तक जाता है। खसरा नम्बर 138 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग नही है। वर्तमान में प्रार्थी आस–पास के खातेदारी खसरों में से आवागमन करता है। प्रार्थी द्वारा गै.मु. मोरी में से रास्ता के लिये आवेदन नही किया है। किन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी के बीच खसरा नम्बर 146 मोरी स्थित है। उक्त मोरी में बरसात के समय पानी भरता है। मोरी में से रास्ता नही दिया जाना बताया है। अप्रार्थी की आराजी के सामने ही चारदीवारी बनी है। तीन दिशा में तारबंदी ही है। मोरी के अतिरिक्त अप्रार्थी की आराजी में से रास्ता दिये जाने पर भी प्रार्थी अपनी आराजी में नही पहुच सकता है। मोरी में से रास्ता नही दिया जा सकता। प्रार्थी को मोरी की भूमि में से रास्ता प्राप्त होने के बाद मोरी के प्राकृतिक बहाव को बाधित किये जाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। साथ ही मोरी में से आवागमन भी नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की आराजी में से रास्ता दिये जाने का भी कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसारः ग्राम देराठू के हाल खसरा 138 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:04 IST
Reason: SelfAttested